



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2014/पौष 23, 1935

No. 89]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2014/PAUSA 23, 1935

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2014

का.आ. 89(अ).—केन्द्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 29 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :-

अ. अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (ज) के अनुसरण में-

(क)	संघ के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	अध्यक्ष - पदेन
(ख)	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	सदस्य - पदेन
(ग)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री	सदस्य - पदेन
(घ)	अध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	सदस्य - पदेन
(ज)	सदस्य योजना आयोग	सदस्य - पदेन
	(अनुसूचित जाति विकास)	

आ. अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में,-

- (i) श्री अर्जुन मेघवाल (लोक सभा)
- (ii) श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (लोक सभा)
- (iii) डा. विजयलक्ष्मी साधो (राज्य सभा)

इ. निम्नलिखित मंत्रालयों के सचिव -

(i)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता -	सदस्य - पदेन
(ii)	शहरी विकास -	सदस्य - पदेन
(iii)	आवास और शहरी गरीबी उन्नूलन -	सदस्य - पदेन
(iv)	पेय जल और स्वच्छता -	सदस्य - पदेन
(v)	पंचायती राज -	सदस्य - पदेन

(vi) वित्तीय सेवाएं - सदस्य - पदेन
 (vii) रक्षा - सदस्य - पदेन
 ई. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड - सदस्य - पदेन
 उ. महा निदेशक, रक्षा संपदा- सदस्य - पदेन
 ऊ. निम्नलिखित छह राज्य सरकारों और एक संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रमुख सचिव से अन्यून रैक के प्रतिनिधि -

राज्य :

(i) आंध्र प्रदेश
 (ii) असम
 (iii) महाराष्ट्र
 (iv) तमिलनाडु
 (v) उत्तर प्रदेश
 (i) पश्चिमी बंगाल

संघ राज्य क्षेत्र :

(vii) दिल्ली

ए. हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध और हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों से संबंधित या मैला उठाने वाले समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित सामाजिक कर्मकार जो देश के निवासी हैं, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं :-

(i) श्री बिजवाड़ा विल्सन--सफाई कर्मचारी आंदोलन
 (ii) श्री आसिफ शेख---गरिमा अभियान
 (iii) श्री राजेन्द्र बाल्मीकि
 (iv) श्रीमती कमला गुर्जर

ए. संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास),
 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग -

सदस्य सचिव- पदेन

2. (i) संसद् सदस्यों, जो पैरा आ के अधीन नामनिर्दिष्ट हैं, के पद की अवधि उनके अपनी संसद् की सदस्यता के साथ चलेगी।
 (ii) सामाजिक कार्यकर्ताओं, जो पैरा ए के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए हैं, के पद की अवधि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी।

[फा. सं. 12015/3/ 2008-एससीडी-IV]

संजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2014

S.O. 89(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 29 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Act 25 of 2013), the Central Government hereby constitutes the Central Monitoring Committee consisting of the following members:—

A. In pursuance of clauses (a) to (e) of sub-section (2) of Section 29 of the Act-

(a) The Union Minister for Social Justice and Empowerment -	Chairperson- <i>ex officio</i>
(b) Chairperson, National Commission for Scheduled Castes-	Member- <i>ex officio</i>
(c) Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment-	Member - <i>ex officio</i>
(d) Chairperson, National Commission for Safai Karmacharis-	Member - <i>ex officio</i>
(e) Member Planning Commission (Development of Scheduled Castes) -	Member - <i>ex officio</i>

B. In pursuance of clause (f) of sub-section (2) of Section 29 of the Act, -

- (i) Shri Arjun Meghwal (Lok Sabha)
- (ii) Shri Lalit Mohan Suklabadiya (Lok Sabha)
- (iii) Dr. Vijayalaxmi Sadho (Rajya Sabha)

C. Secretaries of the following Ministries -

(i) Social Justice and Empowerment-	Member- <i>ex officio</i>
(ii) Urban Development -	Member- <i>ex officio</i>
(iii) Housing and Urban Poverty Alleviation -	Member- <i>ex officio</i>
(iv) Drinking Water and Sanitation-	Member- <i>ex officio</i>
(v) Panchayati Raj-	Member- <i>ex officio</i>
(vi) Financial Services-	Member- <i>ex officio</i>
(vii) Defence-	Member- <i>ex officio</i>

D. Chairman, Railway Board-

E. Director General, Defence Estates-

F. Representatives of the following six State Governments and Union Territory, not below the rank of Principal Secretary to the Government or administration-

States:

- (i) Andhra Pradesh
- (ii) Assam
- (iii) Maharashtra
- (iv) Tamil Nadu
- (v) Uttar Pradesh
- (vi) West Bengal

Union Territory:

- (vii) Delhi.

G. The following social workers belonging to organisations working for the prohibition of manual scavenging and rehabilitation of manual scavengers, or, representing the scavenger community, who are resident in the country, nominated by the Chairperson:—

- (i) Sh. Bezwada Wilson—Safai Karmachari Andolan
- (ii) Sh. Asif Shaikh—Garima Abhiyan
- (iii) Sh. Rajinder Balmiki
- (iv) Smt. Kamala Gurjar

H. Joint Secretary (Scheduled Castes Development),
Department of Social Justice and Empowerment-

Member Secretary -*Ex-officio*

2. (i) The term of office of the members of Parliament who are nominated under para B shall be co-terminus with their membership in the respective House of Parliament.

(ii) The term of office of the social workers who are nominated under para G shall be for a period of three years from the date of publication of this notification.

[F. No. 12015/3/2008-SCD-IV]

SANJEEV KUMAR, Jt. Secy.